UPGZ010155382022

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–7, गाजियाबाद।

उपस्थित: नेत्रपाल सिंह, उच्चतर न्यायिक सेवा।

J.O Code–6348

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–5013/2022,

कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन नं०–7307/2022,

CNR No. UPGZO 1015538 2022

पवन कुमार पुत्र श्री धर्मवीर सिंह, निवासी मानवतापुरी गली नं०–1, सारा, जिला–गाजियाबाद।

..... प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र०राज्य .....अभियोजन।

मु०अ०सं०–251/2022,
धारा–380,411 भा०दं०सं०,
थाना–मोदीनगर,जिला गाजियाबाद।

दिनांक 25–08–2022

प्रार्थी/अभियुक्त पवन कुमार की ओर से यह जमानत प्रार्थना–पत्र मु०अ०सं०–251/2022 धारा–380,411 भा०दं०सं०, थाना मोदीनगर, गाजियाबाद में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में पैरोकार/संजय पुत्र सुखपाल द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय मे विचाराधीन नही है।

संक्षेप में अभियोजन के अनुसार वादी मुकेश शर्मा द्वारा दिनांक–01–05–2022 को थाना मोदीनगर पर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि उसकी बेटी की शादी 21 अप्रैल 2022 को सम्पन्न हुई है। देनदारी के दस लाख रूपये कमरे में रखे हुए थे, उसके घर में एक मुन्नी नामक महिला पिछले 4 महीनों से घरेलू कार्य कर रही थी जो कि संतपुरा गली नं०–3 सुर्जन सिंह के मकान में रहती थी। वादी ने दिनांक 28–04–2022 को अपने रूपये तलाशे तो उस स्थान पर रूपये नहीं मिले। घर में सभी जगह तलाश किये जाने पर भी नही मिले। वादी के रूपये घर में काम करने वाली मुन्नी नामक महिला ने चुराये हैं जो कि अब अपनी बेटी के साथ अपने घर से फरार है। अतः रिपोर्ट लिखकर कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गयी।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) को सुना एवं समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूंठा व गलत फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट आत्यधिक देरी से करायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई है, कथित बरामदगी फर्जी एवं झूठी दिखायी गयी है। कथित बरामदगी का कोई स्वतन्त्र जनसाक्षी नहीं है। अभियुक्त के विरूद्ध बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नही है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 08–05–2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं

है। न्यायालय की सन्तुष्टि हेतु उचित जमानत देने को तैयार है। प्रार्थी/ अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

उभय पक्ष के तर्कों को सुनने एवं अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कथित घटना दिनांक–21–04–2022 को घटित होना कहा गया है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दस दिन विलम्ब से दिनांक–01–05–2022 को समय 19.07 बजे पंजीकृत करायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। कथित बरामदशुदा रूपये व प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित रूपये एक ही है, इसका कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। कथित बरामदगी का कोई स्वतन्त्र चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 08–05–2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास होना भी नहीं कहा गया है। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। सह–अभियुक्ता संतोष की जमानत पूर्व मे इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 31–05–2022 को स्वीकार की जा चुकी है।

प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों में मामले के गुण दोष के सम्बन्ध में बिना कोई टिप्पणी किये, प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाने का पर्याप्त आधार है।

तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त पवन कुमार का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त पवन कुमार की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/ अभियुक्त 1,00,000/–(एक लाख)रूपये के व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि में दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाय।

दिनांक–25–08–2022

(नेत्रपाल सिंह)
J.O Code– U.P.6348
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 7,
गाजियाबाद।